ई-मेल

## मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी (निर्वाचन) विभाग

क्रमांक 22/विधि.निर्वा./स्टोर/2018/767 भोपाल, दिनांक 17/1/19

प्रति,

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी,
मध्यप्रदेश।

विषयः जिला निर्वाचन कार्यालयों में कार्यरत उप जिला निर्वाचन अधिकारियों के लिए कार्यालय के उपयोग हेतु किराये के वाहन व्यवस्था की स्वीकृति बाबत्।

जिला निर्वाचन कार्यालयों में कार्यरत उप जिला निर्वाचन अधिकारियों के लिए कार्यालयीन उपयोग हेतु प्रत्येक जिले के लिए एक टैक्सी वाहन दिनांक 1.1.2019 से जून 2019 तक राशि रूपये 5.50 लाख की लागत की राशि का वाहन उप जिला निर्वाचन अधिकारियों हेतु किराये पर लेने की सहमति वित्त विभाग मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई है।

यह स्वीकृति वित्त विभाग के यू.ओ.क्र. 27/आर/1310/ब-8/चार/2019 दिनांक 9.1.2019 द्वारा की गई है।

उक्त व्यय मांग संख्या 29-2015 निर्वाचन-105-(4311) निर्वाचन अधिकारी-31-व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां-007 परिवहन व्यवस्था के अंतर्गत विकलनीय होगा।

(राकेश कुशरे)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी(निर्वा.) कार्य विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक 22/विधि.निर्वा./स्टोर/2018/768 भोपाल, दिनांक 17/1/19

प्रतिलिपिः-

(1) महालेखाकार,लेखा एंव हकदारी,प्रथम, ग्वालियर मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ
(2) वित्त विभाग बजट-8 मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के यू.ओ.क्र. 27/आर/1310/ब-8/चार/2019 दिनांक 9.1.2019 द्वारा की गई है।
(3) कलेक्टर एंव जिला निर्वाचन अधिकारी समस्त मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु
(4) कोषालय अधिकारी समस्त मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।
(5) बजट शाखा कार्यालयीन मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी,मध्यप्रदेश भोपाल की ओर सूचनार्थ, बजट हेतु आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(राकेश कुशरे)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन,विधि और विधायी(निर्वा.)कार्य विभाग